सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 805 राँची, बुधवार, 10 कार्तिक, 1938 (श०) / 1 नवम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2017

संख्या-15/नीति नि०-07-02/2017 का.-10536-- कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-1749 दिनांक 27 मार्च, 2010 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड राज्य लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010 एवं अधिसूचना संख्या-5028 दिनांक 15 जून, 2016 द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016' के प्रावधानों के तहत लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) के 15 प्रतिशत पदों, जिन्हें समूह-'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरा जाना है, के परीक्षा संचालन हेतु झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तारः-

(i) यह नियमावली 'झारखंड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि) नियमावली, 2017' कहलाएगी ।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

(iii) 'संबंधित विभाग' से अभिप्रेत है अधियाचना भेजने और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार।

(iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।

(v) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली- 2010 एवं 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016' में परिभाषित है के क्रमश वही अर्थ रहेंगे, जो उन नियमावलियों में हैं ।

3. परीक्षा का आयोजनः-आयोग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग एवं समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि (निम्नवर्गीय लिपिक) के पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के निमित गठित इस परीक्षा नियमावली के अनुसार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगी ।

4. रिक्तियों का विनिश्चयः- 'झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/ अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010' एवं 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016' से आच्छादित संवर्ग के मूल कोटि पद (निम्नवर्गीय लिपिक) के 15 प्रतिशत पदों, को समूह-'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरा जाना है । एतदर्थ रिक्तियों का विनिश्चय संबंधित विभागों के द्वारा अधियाचना वर्ष की पहली जनवरी के आधार पर किया जायेगा एवं परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से आयोग को भेजी जायेगी ।

5. पात्रता की शर्तें :- इस परीक्षा नियमावली के प्रावधानों के तहत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तृतीय वर्ग के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता उसी विभाग/जिला के लिए होगी, जहाँ वह समूह-'घ' के पद पर पदस्थापित है । सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न कार्यालयों/समाहरणालयों में कार्यरत समूह-'घ' के कर्मियों के लिए पात्रता निम्नवत होगीः-

(i) आवेदन की तिथि को सेवा संपुष्ट हो ।

(ii) आवेदन की तिथि को धारित पद पर लगातार दस वर्षों की सेवा पूर्ण हो ।

(iii) आवेदन की तिथि को कर्मी पर कोई विभागीय/फौजदारी कार्यवाही लंबित न हो और न ही आवेदन की तिथि को आवेदक निलंबित हो अथवा उस पर कोई दण्ड प्रभावी हो ।

(iv) आवेदन की तिथि को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडियट काउन्सिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण हों ।

6. शुल्कः- परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

7. पात्रता के बारे में विनिश्चयः- सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश-पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र (Admit card) निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं ।

8. परीक्षा का स्वरूपः- इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली के प्रावधानों के आलोक में आयोग के द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा । परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी । प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी । द्वितीय चरण में टंकण जाँच होगी, जो मात्र अर्हक प्रकृति का होगा। इसमें सफल होना आवश्यक होगा । टंकण जाँच में असफल अभ्यर्थी मेधासूची में शामिल नहीं किये जायेंगे ।

8.1 अवधि एवं पूर्णांकः-

क्रं०	परीक्षा का चरण	अवधि	अंक
1.	प्रथम चरण (लिखित परीक्षा)	02 घंटा	100
2.	द्वितीय चरण (टंकण जाँच)	10 मिनट	अर्हक

8.2 प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रमः-

क्रं०	परीक्षा का विषय	कुल अंक
1.	हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद को सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करना	10
2.	हिन्दी के अनुच्छेद का संक्षेपण	10
3.	डायरी एवं प्रेषण पंजी में (10-10) कुल 20 प्रविष्टि करना	10

4.	अंग्रेजी के अनुच्छेद का हिन्दी में अनुवाद करना	20
5.	हिन्दी के दस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	10
6.	गणित, सामान्य ज्ञान/सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर के मूलभूत ज्ञान संबंधी प्रश्न (मैट्रिक स्तरीय)	40
	कुल-	100

8.3 द्वितीय चरण (टंकण जाँच) :-

आयोग के द्वारा टंकण जाँच परीक्षा का आयोजन 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमिडियट/+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015' के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा ।

9. **<u>अर्हतांक</u>** :- प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) हेतु विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् होगाः-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

10. मेधासूची एवं परिणामः-

(i) आयोग के द्वारा टंकण जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रथम पत्र के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची (Merit List) तैयार की जायेगी ।

(ii) मेधा सूची तैयार करने के पश्चात् आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जाँच करायी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग के द्वारा संबंधित प्राधिकार की अधियाचना के अनुरूप उन्हें आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार अंतिम अनुशंसा उपलब्ध करायी जायेगी ।

(iii) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा, अर्थात् अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा । यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले

उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा ।

(iv) परीक्षा के परिणाम का संसूचन आयोग के द्वारा किया जायेगा ।

11. नियुक्तिः-

आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में संबंधित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारों के द्वारा भर्ती हेतु अपेक्षित कार्रवाई करते हुए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा । सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा ।

12. निर्वचनः-

इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा ।

13. प्रकीर्णः-

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 अथवा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे ।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी ।

14. निरसन और व्यावृत्तिः-

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत कोई नियम/विनियम /अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे ।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 805--50